Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी केविभिन्न विषयों में सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु आवेदन करने संबंधी दिशानिर्देश

चरण 1–पंजीकरण करें

- छात्र, विश्वविद्यालय के एडमिशनपोर्टल पर जाएं तथा संबंधित पाठ्यक्रम का चयन करें, जिसमे वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
- पाठ्यक्रम का चयन करने के पश्चात, स्क्रीन पर अर्हता से संबंधित कुछ प्रश्न प्रदर्शित होंगे जिसका उत्तर छात्र को **हां** अथवा **नहीं** में देना होगा।
- अनिवार्य प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर देने के पश्चात, स्क्रीन पर कुछ फील्ड प्रदर्शित होंगी। छात्र को सभी फील्डों में सही विवरण भरना होगा तथा **सहमत** बटन पर क्लिक करना होगा।
- अपेक्षित विवरण भरने के पश्चात, छात्र को पंजीकरण शुल्क भुगतान हेतु हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

***छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि** पंजीकरण करते समय संबंधित फील्ड में वे **अपनी सही ईमेल आईडी भरें। भरी गई ईमेल आईडी के माध्यम से ही विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। गलत ईमेल आईडी प्रदान करने की दशा में छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

चरण 2–पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें

- पंजीकरण शुल्क का भुगतान, छात्र **ऑफलाइन**अथवा**ऑनलाइन** माध्यम से कर सकेंगे।
- **ऑफलाइन भुगतान** हेतु स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे **चालान उत्पन्न करें** बटन पर क्लिक करें, जिसके पश्चात, छात्र चालान के माध्यम से संबंधित बैंक में शुल्क का भुगतान कर सकते हैं एवं तदोपरांत भुगतान संबंधी अपेक्षित जानकारी ऑनलाइन प्रपत्र में भरना होगा।
- **ऑनलाइन भुगतान** हेतु स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे **शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें(Proceed to Pay Online)**बटन पर क्लिक करें, जिसके पश्चात छात्र को ऑनलाइन भुगतान हेतु हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- छात्र, ऑनलाइन भुगतान के विकल्पों यथा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।

***यदि छात्र द्वारा शुल्क भुगतान करने पर निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते से कट जाती है** परंतु भुगतान **की स्थिति असफल दिख** रही है **तो** कृपया 24 घंटे तक भुगतान की स्थिति **अद्यतित होने की प्रतीक्षा करें। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश आवेदन पत्र पुनः भरें।**

***छात्र सभी जानकारियां सही प्रकार से दर्ज करें। भुगतान के पश्चात दर्ज की गई जानकारी में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।**

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

चरण 3–प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें

- पंजीकरण शुल्क भुगतान के पश्चात, छात्र को प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदन पत्र भरने हेतु स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे बटन **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें** पर क्लिक करें, जिसके पश्चात छात्र को आवेदन पत्र भरने हेतु हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- संबंधित फील्डों में अपेक्षित जानकारियां भरें तथा दस्तावेज अपलोड करें।
- अपेक्षित जानकारी भरने के पश्चात **सहमत** बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र दर्ज करने के पश्चात, छात्रों को भरा हुआ आवेदन पत्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में जमा करना होगा।

***यदि किसी कारणवश छात्र, शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र नहीं भरते हैं अथवा स्क्रीन बंद हो जाती है तो वे प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन पत्र भर सकेंगे। लॉगिन करने हेतु छात्र को लॉगिन पृष्ठ पर अपनी पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या तथा जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।**

***छात्र सभी जानकारी सही प्रकार से दर्ज करें। आवेदन पत्र दर्ज करने के पश्चात, आवदेन पत्र में दर्ज जानकारियों में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।**

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञान शास्त्री (बी0लिब0आई0एस–सी0)–सत्र 2023–24

आवश्यक नियम व निर्देश

1. प्रवेश हेतु ऑनलाईन पद्धति से विश्वविद्यालय के ऑनलाईन पोर्टल ssvvonline.in पर प्रवेशावेदनपत्र तथा आवश्यक नियम–निर्देश उपलब्ध होंगे।
2. आवेदन पत्र पूरित करने से पूर्व सभी आवश्यक नियम/निर्देश अभ्यर्थी ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें। किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी।
3. ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञानशास्त्री पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय में संचालित होता है।
4. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह प्रवेश की अर्हता के नियमों का स्वयं अध्ययन कर अर्हता पूर्ण होने पर ही निर्धारित शुल्क का भुगतान तथा आवेदन–पत्र पूरित करें।
5. आवेदन–पत्र की पूर्ति के समय यदि अभ्यर्थी ने अप्रमाणिक तथ्य दिये हैं अथवा उनमें किसी भी प्रकार की असत्यता पायी जायेगी तो प्रवेश–परीक्षा अध्ययन के समय एवं वार्षिक परीक्षा के उपरान्त भी विश्वविद्यालय ऐसे छात्र के विरूद्ध अनुशासनिक तथा प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा। उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा, और छात्र इस निमित्त कोई कानूनी कार्यवाही नही कर सकेगा। क्योंकि निर्धारित अर्हता के अनुसार ही प्रवेशावेदन पूरित करने का दायित्व अभ्यर्थी का है।

प्रवेश के लिए अर्हता –

6. ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञानशास्त्री (बी0लिब0) कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र जमा करने के अन्तिम दिनांक तक शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षो में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
   नोट – तीनों वर्षो में संस्कृत विषय से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य/कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो।

स्थान (सीट) का निर्धारण –

7. विश्वविद्यालय द्वारा बी0लिब0 पाठ्यक्रम में कुल 38 स्थान निर्धारित है।
8. उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत ही अभ्यर्थियों को वरीयता–सूची के आधार पर अर्हता होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि वरीयता –सूची के अनुसार प्रदेश के बाहर अर्ह छात्र उपलब्ध नही होते हैं तो सामान्य वरीयता –सूची के आधार पर रिक्तियां भरी जायेगी।

स्थानों का आरक्षण –

9. (क) अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के पक्ष में स्थानों की कुल संख्या के क्रमशः 21, 02 व 27 प्रतिशत तक की सीमा में प्रवेश लिया जायेगा। उ0प्र0 शासनादेश सं0 2638/15–10–94–15(66)/ 89, दिनांक 20 जुलाई 1994 अथवा प्रवेश के समय प्रभावी आरक्षण–नियम के अनुसार प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के नियम लागू होंगे।
   (ख) यदि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का स्थान भरने हेतु अनुसूचित जनजाति के पात्र–अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे स्थान अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र पर अनुसूचित जनजाति स्पष्ट रूप अंकित होना आवश्यक है।
   उपर्युक्त अनुच्छेद 'ख' के अधीन रहते हुए अनुच्छेद 'क' के अधीन आरक्षित स्थानों में से कोई स्थान पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाता है तो सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
   (ग) उत्तर–प्रदेश आदेश का शासन सं0 1191/सत्तर–2–2010–3(58)–79, दिनांक 11 जून 2010 के अनुसार निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित के अनुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण दिया जायेगा –
   (अ) स्वतन्त्रता–संग्राम–सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश स्थानों का अधिकतम 02 प्रतिशत।
   (ब) उत्तर–प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त/अपंग रक्षाकर्मियों/युद्ध में वीरगति को प्राप्त रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश शासन में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश–स्थानों का अधिकतम 05 प्रतिशत।
   (स) शारीरिक रूप से निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश स्थानों का अधिकतम 03प्रतिशत।
   (द) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश–स्थानों का अधिकतम 20 प्रतिशत।
   (घ) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 31.10.2003 के लिए गये निर्णय के अनुसार –
   विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शिक्षणेत्तर कर्मचरियों पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी को ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञान शास्त्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित स्थानों के क्रमशः 3%, 5% कुल 8% स्थानों पर सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार सम्मिलित करके वरीयता के क्रम से प्रवेश दिया जा सकेगा। इस क्रम में (ग) तथा (घ) संवर्ग में आने वाले अभ्यार्थियों का नियोक्ता द्वारा संस्थागत अभिलेख के आधार पर देय निवास–प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। प्रवेश–दिनांक को सेवारतों को ही यह लाभ अनुमन्य है।
   (ड.) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वर्ग के छात्रों को उत्तर प्रदेश के कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 01/2019/4/1/2002/ का–2/19 टी0सी0–2 दिनांक 18 फरवरी 2019 के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र पर निर्धारित सीटों के सापेक्ष 10% आरक्षण अनुमन्य होगा।

टिप्पणी –

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा,

अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रदत्त प्रमाण–पत्र पर संवर्ग स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(ख) विकलांग अभ्यर्थी को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नही है, जिससे अन्य छात्रों में बिमारी फैलने या उनके कक्षा–शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो।

(ग) विश्वविद्यालय–कर्मियों के आश्रितों के लिए कुलसचिव का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(घ) स्वतन्त्रता–संग्राम सेनानीयों के आश्रितों/उ0प्र0 शासन से सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में वीरगति को प्राप्त रक्षा कर्मियों अथवा उ0प्र0 शासन में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्रीयों को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ड़) अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त उ0प्र0 का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र (डोमिसाइल प्रमाण–पत्र) अनिवार्य रूप से देना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को उ0प्र0 के मूल निवासी होने के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।अन्य प्रदेशों के अभ्यार्थियों के लिए मूल निवास प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नही होगी।

प्रवेश–परीक्षा का आयोजन –

10. प्रवेश–परीक्षा वाराणसी जनपद मुख्यालय के केन्द्र/केन्द्रों में होगी। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केन्द्र की सूचना विश्वविद्यालय की ऑनलाईन पोर्टल ssvvonline.in पर प्रदर्शित की जाएगी। एतदर्थ अलग से कोई सूचना नही दी जायेगी। प्रवेश–पत्र को ऑनलाईन पद्धति से डाउनलोड किया जा सकेगा।

अतिरिक्त अंको का आवंटन –

11. **(1)** कोई भी अतिरिक्त अंक प्रपत्र–'क' एवं 'ख' में अभ्यर्थना करने पर ही देय होगा। इन प्रपत्रों में यथा स्थान अतिरिक्त अंक को उनके कोड के समक्ष अंकित करें, तथा अतिरिक्त अंक पात्रता प्रमाणित करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

(2) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को निर्धारित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित अंक आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 25 अंक से अधिक नही होगा।

(क) राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियो को –

1– इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा –

प्रथम स्थान आने पर	– 15 अंक
द्वितीय स्थान आने पर	– 10 अंक
तृतीय स्थान आने पर	– 05 अंक

2– टीम आइटम्स में –

सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	– 15 अंक
सर्वउपविजेता (रनर्स–अप) टीम का सदस्य होने पर	– 10 अंक
प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	– 05 अंक

3– किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तरमहाविद्यालयीय टूर्नामेण्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगितामें सर्वविजेता (चैम्पियन)

टीम का सदस्य होने पर	– 10 अंक
इन्डीविजुअल में प्रथम स्थान आने पर	– 10 अंक

विशेष :– 1– उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत तीनों आइटम्स में से केवल एक ही–आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम्स में भाग लिया हैं तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।

2– राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

3– अन्तरविश्वविद्यालयीय अथवा अन्तरमहाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में विश्वविद्यालय के खेलकूद विभाग के निदेशक/अध्यक्ष/सचिव या क्रीड़ा–अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड्स तथा रोवर्स/रेन्जर्स के अभ्यर्थियों को –

1– एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष/महिला अभ्यर्थी तथा 'जी–2' प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

2– एन.सी.सी. में 'बी' प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष/महिला अभ्यर्थी तथा 'जी–1' प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को – 10 अंक

या

3– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

4– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – 10 अंक

या

5– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को – 05 अंक

या

6– स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

7– स्काउट एवं गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स के निपुण प्रमाण–पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को – 10 अंक

या

8– स्काउट एवं गाइड्स के ध्रुवपद/द्वितीय सोपान या गुरूपद/तृतीय सोपान प्रशिक्षण प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स के प्रवीण प्रमाण–पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को – 05 अंक

विशेष :– 1. क्रमांक 14 (2) (ख) के मदों में से केवल एक ही लाभ देय होगा।
2. नेशनल कैडेट कोर का प्रमाण–पत्र महानिदेशक, नेशनल कैडेट कोर द्वारा निर्गत किया ही मान्य होगा।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा प्रतिकुलपति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होगा।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र में दो शिविर के साथ–साथ सेवा कार्य के घण्टों का उल्लेख न होने पर अतिरिक्त अंक का लाभ प्राप्त नही होगा।
5. स्काउट एवं गाइड्स का प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्गत किया गया ही मान्य होगा।

(ग) स्वतन्त्रता संग्राम के पुत्र या पुत्री या पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री को (प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।) – 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी, जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो, या ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग, लापता, मृत है, उनसे वे अभ्यर्थी पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो, को – 15 अंक

(ड़) ऐसे अभ्यर्थी, जो पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ.या होमगार्ड (वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र) में सेवारत हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हो, जो कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए शहीद हुए हो को – 15 अंक

(च) ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता होने का कानूनी प्रमाण–पत्र दाखिल करना होगा।), को – 15 अंक

(छ) ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञानशास्त्री के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अथवा इससे सम्बद्ध महाविद्यालय से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण हो, को (आचार्य परीक्षा इस हेतु मान्य नही होगा।) – 05 अंक

विशेष :– 1. यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त 'क' से 'छ' तक उल्लिखित मदों में से 25 से अधिक अंक प्राप्त होते है, तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता–सूची में जोड़े जायेंगे। आवेदन–पत्र पूरित करते समय जिन अतिरिक्त अंको/भारांक की प्रविष्टि की गई है तथा तिथि तक उनके प्रमाण–पत्र प्राप्त है उन्हीं को भारांक माना जाएगा।
2. विश्वद्यिालय द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र से भिन्न कोई प्रमाण–पत्र अथवा अस्थाई प्रमाण–पत्र अतिरिक्त अंकों के लिए मान्य नही होंगे।

श्रेष्ठता–सूची तैयार करना –

12. प्रवेश–परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियम व निर्देश (14) के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त अंक (जिसकी अधिकतम सीम 25 अंक होगी, शासनादेश सं0 451/एक्स.वी. 1187–3/5/79, लखनऊ, दिनांक 5 मई 1987 के अनुसार) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिए पृथक्–पृथक् सूचियाँ तैयार की जायेगी। यदि अभ्यर्थी के प्रवेश–परीक्षाफल में देय अंक आदि जोड़ने के बाद भी समान अंक रहते है तो अग्रांकित नियम लागू होंगे –

ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञानशास्त्री पाठ्यक्रम के लिए पिछले स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको की वरियता के क्रम में लिया जायेगा। यदि इसमें भी समान अंक रहते हैं तो उसमें नीचे की कक्षा के अंको को वरीयता के क्रम से लिया जायेगा।

नोट – बी0लिब, पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थानों के सापेक्ष पर्याप्त प्रवेशावेदन–पत्र न प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश स्नातक कक्षा के प्राप्ताकों के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

अन्य निर्देश एवं सूचनाएँ –

13. श्रेष्ठता–सूची का कोई अभ्यर्थी, जिसके आचरण के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गई हो, अथवा जिसके विरूद्ध आपराधिक कानूनी कार्यवाही चल रही हो अथवा जो किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, अथवा विश्वविद्यालय के परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक के लिए निष्कासित किया गया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी का सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
14. विश्वविद्यालय द्वारा श्रेष्ठता–सूची में आने वाले अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की ऑनलाइन पोर्टल ssvvonline.in पर प्रदर्शित की जाएगी। उसी साथ अथवा बाद में काउन्सिलिंग कार्यक्रम का विवरण भी प्रकाशित किया जाएगा। एतद्र्थ डाक द्वारा कोई सूचना नही दी जाएगी।
15. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। तत्पश्चात् निर्धारित दिनांक तक सम्बन्धित विभागाध्यक्ष छात्रों को मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करने उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगे। **प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को स्थानान्तरण/प्रवजन प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**
16. प्रवेश–परीक्षा का शुल्क 800/– रूपये ऑनलाईन पद्धति से पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से देय होगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नही होगा।

पाठ्यक्रम –

17. प्रवेश–परीक्षा में चार सौ अंकों का प्रश्न–पत्र होगा, जिसकी अवधि दो घण्टे की होगी। प्रश्न–पत्र में चार–चार अंकों के एक सौ प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तीर्णता के लिए लिखित परीक्षा में 40%, अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। सामान्य श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों पर यह प्रतिबन्ध लागू होगा।

प्रश्न–पत्र में संस्कृत और हिन्दी भाषा तथा सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान में सामान्य भाषा, व्याकरण, सन्धि,समास,कारक,प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति लोकोक्तियाँ, मुहावरे,शुद्ध–अशुद्ध का ज्ञान, हिन्दी–संस्कृत रूपान्तर और संस्कृत वाड़मय का परिचय। सामान्य ज्ञान में भारत का भौगोलिक परिचय, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास, भारतीय संविधान योजनाएँ, आर्थिक विकास एवं समस्याएँ, सामान्य विज्ञान, आविष्कार एवं खोज, प्रमुख भारतीय विचारक, दार्शनिक, साहित्यकार, पुस्तकें तथा लेखक, खेलकूद आदि। प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक न होकर वस्तुनिष्ठ परीक्षा –प्रणाली के अनुसार प्रश्न–पत्र में निर्धारित स्थान में देने होंगे।

कुलसचिव

अतिरिक्त अंक प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्रों से सम्बन्धित कोड एवं अतिरिक्त अंक

अतिरिक्त अंक–कोड	अतिरिक्त अंक प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र	अतिरिक्त अंक
(क)	**राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियो को**	
	1– इन्डीविजुअल आइटम में –	
	प्रथम स्थान आने का प्रमाण–पत्र।	15 अंक
	द्वितीय स्थान आने का प्रमाण–पत्र।	10 अंक
	तृतीय स्थान आने का प्रमाण–पत्र।	05 अंक
	2– टीम आइटम्स में –	
	सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने का प्रमाण–पत्र।	15 अंक
	सर्वउपविजेता (रनर्स–अप) टीम का सदस्य होने का प्रमाण–पत्र।	10 अंक
	प्रतिभागी टीम का सदस्य होने का प्रमाण–पत्र।	05 अंक
	3– किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तरमहाविद्यालयीय टूर्नामेण्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता में	
	सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने का प्रमाण–पत्र।	10 अंक
	इन्डीविजुअल में प्रथम स्थान आने का प्रमाण–पत्र।	10 अंक
(ख)	**नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड्स तथा रोवर्स/रेन्जर्स के अभ्यर्थियों के लिए –**	
	1– एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष/महिला अभ्यर्थी तथा 'जी–2' प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी	15 अंक
	2– एन.सी.सी. में 'बी' प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष/महिला अभ्यर्थी तथा 'जी–1' प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी	10 अंक
	3– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने का प्रमाण–पत्र।	15 अंक
	4– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविरों में भाग लेने का प्रमाण–पत्र	10 अंक
	5– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले का प्रमाण–पत्र।	05 अंक
	6– स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण – पत्र	15 अंक
	7– स्काउट एवं गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स के निपुण प्रमाण–पत्र	10 अंक
	8– स्काउट एवं गाइड्स के ध्रुवपद/द्वितीय सोपान या गुरूपद/तृतीय सोपान प्रशिक्षण प्राप्त होने का अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का प्रवीण प्रमाण–पत्र	05 अंक
(ग)	स्वतन्त्रता संग्राम के पुत्र या पुत्री या पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री होने का प्रमाण–पत्र।	15 अंक
(घ)	सक्रिय सेवारत, विसैन्यीकृत, शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा अपंग, लापता, मृत, प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो,	15 अंक
(ड़)	पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ.या होमगार्ड में सेवारत,अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हुए कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री होने का प्रमाण–पत्र	15 अंक
(च)	विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्त महिला अभ्यर्थी होने का प्रमाण–पत्र	15 अंक
(छ)	ग्रन्थालय एवं सूचना–विज्ञानशास्त्री के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अथवा इससे सम्बद्ध महाविद्यालय से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो, का प्रमाण–वत्र (आचार्य परीक्षा इस हेतु मान्य नही होगा।)	05 अंक

विशेष :– अतिरिक्त अंक के कोड के समक्ष प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित अंक को आवेदन पत्र में निम्न प्रकार से लिखें –

1– राष्ट्रस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क के नीचे 15 अंक लिखें।

2– स्वतन्त्रता सं. से के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्री की अविवाहित पुत्री होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी ग के नीचे 15 अंक लिखें।

अतिरिक्त अंक का कोड	क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज	योग
अतिरिक्त अंक	15		15						25

विशेष – अतिरिक्त अंकों का लाभ किसी भी स्थिति में 25 अंक से अधिक नही होगा। अतः 30 अंक पाने वाला अभ्यर्थी भी योग के समक्ष 25 अंक ही उल्लेख करें।